न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-52 RAAJodhpur2021-09RTA223 Lrs of Bhagirath etc Vs Kailash etc

भागीरथ पुत्र श्री रामलाल जाति आचारी फौत के कायम मुकाम

1. घनश्याम पुत्र स्व. श्री भागीरथ
2. हवादेवी पत्नी स्व. श्री भागीरथ
   जातियान् आचारी, निवासी- बाना का बास,
   तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
3. अजोध्या पुत्री स्व. श्री भागीरथ पत्नी कन्हैयालाल जाति आचारी निवासी- लादिया तहसील जैतारण,
   जिला पाली।
4. गीता पुत्री स्व. श्री भागीरथ पत्नी बुधाराम जाति आचारी निवासी- जाखेडा तहसील डेगाना,
   जिला नागौर।
5. राधा पुत्री स्व. श्री भागीरथ पत्नी खैराज जाति आचारी
6. धापू स्व. श्री भागीरथ पत्नी रूपाराम जाति आचारी
   दोनो निवासी- आलानियावास तहसील डेगाना,
   जिला जोधपुर
7. गुड्डी पुत्री स्व. श्री भागीरथ पत्नी कमलेश जाति आचारी निवासी- भाद्राजून, तहसील आहोर,
   जिला जालोर।
8. लीला पुत्र स्व. श्री भागीरथ पत्नी पुनमचंद जाति आचारी, निवासी- कुडकी तहसील जैतारण,
   जिला पाली।

--- **अपीलाण्ड्स**

ब

ना

म

1. कैलाश पुत्र रामदयाल के कायम मुकाम
   - 1.1. श्रीमती नैनू पत्नी स्व. श्री कैलाश
   - 1.2. जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री कैलाश
   - 1.3. दिनेश पुत्र स्व. श्री कैलाश
   - 1.4. मनीष पुत्र स्व. श्री कैलाश

     सभी जाति आचारी निवासी- बाना का बास, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1.5. सुमता पुत्री स्व. श्री कैलाश पत्नी श्री अमृतलाल जाति आचारी निवासी- सवाउ पदमसिंह, जिला जोधपुर।

1.6. कांता पुत्री स्व. कैलाश पत्नी श्री प्रेमाराम जाति आचारी निवासी- आगोलाई तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार औसियां।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर औसियां निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 दिसम्बर 2016 राजस्व वाद संख्या 21/2015 कैलाश बनाम भागीरथ इत्यादि

--- 0 ---

(2) 2021-53 RAAJodhpur2021-10RTA223 Lrs of Bhagirath etc Vs Kailash etc

भागीरथ पुत्र श्री रामलाल जाति आचारी फौत के कायम मुकाम

1. घनश्याम पुत्र स्व. श्री भागीरथ
2. हवादेवी पत्नी स्व. श्री भागीरथ
   जातियान् आचारी, निवासी- बाना का बास, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
3. अजोध्या पुत्री स्व. श्री भागीरथ पत्नी कन्हैयालाल जाति आचारी निवासी- लादिया तहसील जैतारण, जिला पाली।
4. गीता पुत्री स्व. श्री भागीरथ पत्नी बुधाराम जाति आचारी निवासी- जाखेडा तहसील डेगाना, जिला नागौर।
5. राधा पुत्री स्व. श्री भागीरथ पत्नी खैराज जाति आचारी
6. धापू स्व. श्री भागीरथ पत्नी रूपाराम जाति आचारी
   दोनो निवासी- आलानियावास तहसील डेगाना, जिला जोधपुर
7. गुड्डी पुत्री स्व. श्री भागीरथ पत्नी कमलेश जाति आचारी निवासी- भाद्राजून, तहसील आहोर, जिला जालोर।
8. लीला पुत्र स्व. श्री भागीरथ पत्नी पुनमचंद जाति आचारी, निवासी- कुडकी तहसील जैतारण,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिला पाली।

--- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. कैलाश पुत्र रामदयाल के कायम मुकाम
   1.1. श्रीमती नैनू पत्नी स्व. श्री कैलाश
   1.2. जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री कैलाश
   1.3. दिनेश पुत्र स्व. श्री कैलाश
   1.4. मनीष पुत्र स्व. श्री कैलाश
   सभी जाति आचारी निवासी- बाना का बास, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
   1.5. सुमता पुत्री स्व. श्री कैलाश पत्नी श्री अमृतलाल जाति आचारी निवासी- सवाउ पदमसिंह, जिला जोधपुर।
   1.6. कांता पुत्री स्व. कैलाश पत्नी श्री प्रेमाराम जाति आचारी निवासी- आगोलाई तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार औसियां।

--- रेस्पोडेण्ड्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर औसियां निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 जनवरी 2018 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 23.01.2019 राजस्व वाद संख्या 21/2015 कैलाश बनाम भागीरथ इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री मनोहरलाल पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/1 से 1/4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 09 दिसंबर, 2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2015 कैलाश बनाम भागीरथ इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 14 दिसम्बर 2016 व निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 08 जनवरी 2018 एवं संशोधित डिक्री 23.01.2019 के खिलाफ आलौच्य दोनों अपीलें अपीलाण्ट्स की ओर से अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 जनवरी 2021 को पेश की गयी है। अपीलांट द्वारा उक्त प्रत्येक अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पेश कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। इन दोनों अपीलों से संबंधित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी, वादग्रस्त आराजियात एवं तथ्य इत्यादि एक समान होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण उभयपक्षकारान की सहमति से एक ही निर्णय द्वारा एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावे।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2016 को प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 140/2 व 141 में ½ हिस्से का खातेदार घोषित कर तहसीलदार तिवरी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार तिंवरी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 08 जनवरी 2018 को अंतिम डिक्री एवं निर्णय तथा दिनांक 23 जनवरी 2019 को संशोधित डिक्री जारी की गई, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एक पक्षीय, प्राकृतिक न्याय तथा विधि के अनिवार्य प्रावधानों के खिलाफ व बिना क्षेत्राधिकार की होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एवं एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 16.08.2016 अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। पत्रावली अन्य ग्राम पंचायत बेरड़ो का बास लोक अदालत में रखने की मृतक प्रतिवादी भागीरथ को कोई सूचना/नोटिस नहीं था, ना मृतक प्रतिवादी ने बेरड़ो का बास जाकर बयान दिये। उक्त सब गैर कानूनी कार्यवाही वादी ने सरपंच एवं पटवारी हल्का से मिलकर षडयंत्र से मृतक प्रतिवादी के पीठ पीछे करवायी है जो शून्य है तथा निरस्त किये जाने के योग्य है। वादी ने वर्तमान वाद विक्रय पत्र दिनांक 17.04.1990 व 17.04.1991 को शून्य व अवैध घोषित करने के लिए राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जबकि राजस्व न्यायालय को किसी भी विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है तथा कोई भी अधिकार क्षेत्र पक्षकारान् की सहमति से भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार वादी का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का होने से उपरोक्त इकलौते कारण से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों में आने से निरस्त किये जाने के योग्य हैं। वादी के वाद में मृतक प्रतिवादी भागीरथ के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 17.04.1990 गलत होने का कोई आधार नहीं दिया गया। इस प्रकार उसमें वर्णित भूमि पर वादी के कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इस कारण भी वादी का वाद कानूनन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चलने योग्य नहीं था तथा उस पर पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री भी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। विवादित भूमि में वादी को आधे हिस्से की खातेदारी प्रदान करने के मृतक प्रतिवादी भागीरथ ने कोई बयान नहीं दिये है। तथाकथित बयान षडयंत्र से लिखकर शामिल पत्रावली किये गये है, जिसकी साक्ष्य में कोई कीमत नहीं है, अपीलाधीन कार्यवाही षडयंत्र एवं धोखे से बयान की कूटरचना करके शामिल पत्रावली किये जाने के योग्य है। उस आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री भी गैर कानूनी है एवं निरस्त किये जाने के योग्य है। विभाजन प्रस्ताव भूमिधारी तहसीलदार का नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव अनाधिकृत रूप से पटवारी हल्का द्वारा वादी के पक्ष में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जो विभाजन नियम 18 से 21 के अनिवार्य प्रावधानों के विरूद्ध होने से शून्य एवं निरस्त किये जाने के योग्य है।

मृतक प्रतिवादी स्व. भागीरथ का दिनांक 09.10.2017 को देहांत हो गया था, इस प्रकार मृत प्रतिवादी के विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री शून्य हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथन है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने के समय मृतक प्रतिवादी भागीरथ उपस्थित नहीं था। मृतक प्रतिवादी भागीरथ को पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प बेरडो का बास में रखने की कोई सूचना एवं नोटिस मृतक प्रतिवादी भागीरथ को नहीं मिला ना मृतक प्रतिवादी भागीरथ बेरड़ो के बास में उपस्थित हुआ तथा लोक अदालत में की गयी तमाम कार्यवाही मृतक प्रतिवादी भागीरथ के पीठ पीछे षडयंत्र से की गयी तथा पटवारी हल्का ने बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने की कोई सूचना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मृतक प्रतिवादी भागीरथ को नहीं दी तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव भी वादी से मिलकर पटवारी ने अपने कार्यालय में बैठकर वादी के पक्ष में तैयार कर भेजा, जिसका भी कोई नोटिस मृतक प्रतिवादी भागीरथ को नहीं दिया गया, इस प्रकार तमाम कार्यवाही गैर कानूनी की गयी, जिसकी मृतक प्रतिवादी भागीरथ को जानकारी नहीं करायी गई तथा इसके बाद दिनांक 09.10.2017 को प्रतिवादी भागीरथ का देहांत हो गया, तब अपीलार्थी संख्या एक घनश्याम अपने पिता भागीरथ का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर दिनांक 08.12.2020 को पटवारी हल्का के पास विरासत का नामांतकरण करवाने के लिए गया, तब पटवारी हल्का उनकी आधी भूमि वादी कैलाश के नाम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से चढाने व भूमि का बंटवाड़ा कर देने की बात बताई, तब अपीलार्थी संख्या एक ने विद्वान सहायक कलक्टर के कार्यालय में जाकर इसकी नकल के लिए दिनांक 23.12.2020 को आवेदन करवाया, जिस पर नकल तैयार होकर उसी रोज प्राप्त हुई। जिसको अपीलार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा पढकर बताने पर पहली बार जानकारी हुई। इसके बाद अपीलार्थी संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की बात शेष अपीलार्थीगण को बताई तथा इसके बाद अपीलार्थीगण अपील के खर्चे आदि की व्यवस्था कर जोधपुर आकर अपील तैयार करवाकर जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री गैर कानूनी रूप से पारित की गयी है, जिसकी अपील के लिए म्याद का बिंदु गौण है एवं न्याय हित में दोनों अपीलों का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुई देरी को न्यायहित में माफ

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें एवं अपीलार्थीगण की सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में योग्य अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के पिता भागीरथ ने विचारण न्यायालय का नोटिस लेने से इंकार करने पर उसके आबाद मकान पर चस्पा किया गया। स्वयं प्रतिवादी भागीरथ ने केम्प कोर्ट बेरड़ो का बास में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा वादग्रस्त आराजी में ½ का खातेदार वादी को घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया। उक्त बयान में पहचानकर्ता सरपंच बाना का बास स्वयं है। वादग्रस्त आराजी में वादी का ½ हिस्सा होने से विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तथा तहसीलदार तिंवरी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुई देरी का संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलें म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, न्याय हित में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए दोनों अपीलें गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 केम्प बेरड़ो के बास में पेश होने के नोटिस पक्षकारान् को दिये जाना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी पर **सम्मन की सम्यक तामील करवाया जाना नहीं पाया जाता है।**

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार औसियां स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार तैयार नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार औसियां के मार्फत विचारण न्यायालय को भिजवाया जाना पाया जाता है जो **तहसीलदार औसियां के पत्र क्रमांकः भू.अ./बंटवाड़ा/2017/680 दिनांक 15.03.2017 से पुष्टि होती है।** इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2015 कैलाश बनाम भागीरथ इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 14 दिसम्बर 2016 एवं फाइनल डिकी एवं निर्णय दिनांक 08 जनवरी 2018 एवं संशोधित फाइनल डिक्री 23.01.2019 को अपास्त किये जाते है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथाकथित बयान की सत्यता की जांच कर विधिसम्मत निर्णय एवं तदनुरूप प्राथमिक डिकी पारित की जावे और धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब कर निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप फाइनल डिकी पारित की जावें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर